रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2000/भाद्र 23, 1922
No. 124] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2000/BHADRA 23, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2000

सं. टीएएमपी/10/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार पट्टा हस्तांतरण शुल्क/बंधक शुल्क से संबंधित दिनांक 4 फरवरी, 2000 के अपने आदेश को स्पष्ट करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/10/2000—सामान्य

आदेश

(अगस्त, 2000 के 31वें दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण द्वारा पट्टा हस्तांतरण शुल्क/बंधक शुल्क से संबंधित एक आदेश 4 फरवरी, 2000 को पारित किया गया था। इस आदेश के पैरा सं. 3 में यह उल्लेख किया गया था कि महापत्तन न्यास अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान न होने के कारण पट्टाधारण अधिकारों के हस्तांतरण/बंधक रखने के लिए अनुमति प्रदान करने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता और इस प्राधिकरण के पास कोई ऐसा शुल्क लगाए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए, सभी पत्तन न्यासों को भविष्य में तदनुसार कार्रवाई करने और यथा आवश्यक अपनी दरों के मान में संशोधन करने का निर्देश दिया था। यह आदेश 23 फरवरी, 2000 से प्रभावी हुआ था।

2. कुछ पत्तन न्यासों ने इस प्राधिकरण को सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन उनके पट्टाधारकों द्वारा पट्टाधारण हित का बंधक होने के कारण इस प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश को क्रियान्वित करना कठिन है। साथ ही, समय-समय पर बंधक के लिए अनुमति शुल्क के रूप में पत्तन न्यास द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, पहले से ही विद्यमान है। उन्होंने दिनांक 4 फरवरी, 2000 के आदेश की पुनः समीक्षा/स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

3. उपरोक्त उल्लिखित मुद्दे के संदर्भ में और समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण एतद्द्वारा स्पष्ट करता है कि इस प्राधिकरण का आशय अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में सही विधिक स्थिति स्पष्ट करना था, न कि, बंधक शुल्क को अवैध घोषित करना। विधि सम्मत स्थिति यह है कि टीएएमपी को यह प्राधिकार नहीं है कि वह महापत्तन न्यास अधिनियम में उल्लिखित प्रावधान के अभाव में ऐसी लेवियों का अनुमोदन करे। परिणामस्वरूप, इसके पास ऐसी लेवियों को अनुमोदित न करने की शक्तियां नहीं हैं। यह प्राधिकरण पत्तन न्यासों को बंधक-शुल्कों

की वसूली करने से रोकने के लिए नहीं कह सकता। पूर्ववर्ती आदेश का सभी महापत्तनों के समक्ष यह ध्यान में लाने का उद्देश्य है कि बंधक शुल्क/हस्तांतरण शुल्क लेवी को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के मान में शामिल नहीं किया जा सकता। अतः ऐसा प्रस्ताव इस प्राधिकरण के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जाएगा।

4. एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पत्तन न्यास अपने विवेक और जिम्मेदारी पर इस प्राधिकरण को बिना संबद्ध किए अपने निर्णय ले सकते हैं।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/143/2000/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2000

No. TAMP/10/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby clarifies its Order dated 4 February, 2000 relating to lease transfer fee/mortgage fee, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/10/2000-Genl.

ORDER

(Passed on this 31st day of August, 2000)

This Authority had passed an Order on 4 February, 2000, relating to lease transfer fee/mortgage fee. In paragraph No 3 of the order it was mentioned that in the absence of a specific provision therefor in the Major Port Trust Act there can be no levy of fee for permitting transfer/mortgage of leasehold rights; and, this Authority does not have the jurisdiction to accord approval for levy of any such fees. All the Port Trusts were, therefore, directed to take action accordingly in future and introduce changes in their Scale of Rates where necessary. The Order came into effect from 23 February, 2000

2. Some of the Port Trusts have brought to the notice of this Authority that implementation of the above Order of the Authority is difficult as mortgage of the leasehold interest by its lessees, subject to certain condition including payment of an amount fixed by the Port Trust from time to time as permission fee for mortgage is already existing, as approved by the Government of India. They further requested to review/clarify the Order dated 4 February, 2000.

3. With reference to the issue raised above and based on a collective application of mind, the Authority hereby clarifies that the intention of the Authority was to explain the correct legal position about its jurisdiction and not to declare mortgage fee as illegal. The legal position is that the TAMP does not have the authority to approve such levies in the absence of a specific provision in the Major Port Trusts Act and as a corollary, it does not have the powers to disapprove such levies. This Authority has not asked the Port Trusts to stop recovering the mortgage fees. The earlier Order intends to bring to the notice of all the Major Ports that levy of mortgage fee/transfer fee can not be included in the Scale of Rates approved by the Authority so that such proposal shall not be sent to this Authority for approval.

4. It is hereby clarified that the Port Trusts can, at their discretion and responsibility, take their own decision on the subject without involving this Authority.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/IV/143/2000/Exty]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054